न्यायालय: अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला दौसा(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारीः– रोमा भाटिया, आर.जे.एस. (अतिरिक्त कार्यभार)

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	–	700/2017
सी.आई.एस. नंबर	–	177/2019
बी.टी. नंबर	–	530/2024
सी.एन.आर. नंबर	–	RJDS070005442019

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी

बनाम

हजारीलाल पुत्र मूलचंद निवासी जस्सापाडा आभानेरी, थाना बांदीकुई, जिला दौसा ।

––अभियुक्त

अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थित:–

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार मिश्रा– अभियुक्त की ओर से ।

//निर्णय// **दिनांकः 06/06/2026**

01– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परिवादी जगदीश ने उपस्थित थाना होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 16.09.2017 को दिन में करीब 12 बजे वह अपने घर पर था तो अभियुक्तगण हजारी, उदय, शंकर, नहनी एकराय होकर हाथों में लाठी–डंडे व कुल्हाडी लेकर आये तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया । प्रार्थी के सिर में उदय ने कुल्हाडी की चोट मारी तथा अन्य अभियुक्तगण ने भी जगह–जगह शरीर पर चोटें मारी जिससे प्रार्थी लहूलुहान होकर मौके पर गिर गया । प्रार्थी को मरा हुआ समझकर अभियुक्तगण उसे छोडकर चले गए । प्रार्थी के घर पर मौजूद औरतों ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी गाली–गुफ्तार किया । जिस पर अभियोग संख्या 474/2017, अन्तर्गत धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त हजारीलाल के विरूद्ध धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उपर्युक्त वर्णित धाराओं का प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

02– बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 341, 323, 504 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने सुन–समझकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्न गवाह परीक्षित व निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गएः–

क्र.सं.	गवाह	पीडब्ल्यू
1.	शिवलहरी	पीडब्ल्यू-1
2.	अमर सिंह	पीडब्ल्यू-2
3.	निरंजनपाल	पीडब्ल्यू-3
4.	सुरजन सिंह	पीडब्ल्यू-4
5.	जगदीश	पीडब्ल्यू-5
6.	निरमा	पीडब्ल्यू-6

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	नक्शा मौका	प्रदर्श पी-1
2.	तहरीरी रिपोर्ट	प्रदर्श पी-2
3.	चाक एफ आई आर	प्रदर्श पी-3
4.	चोट प्रतिवेदन जगदीश	प्रदर्श पी-4

बचाव साक्ष्यः–

क्र.सं.	दस्तावेज	प्रदर्श
1.	धारा 161 के तहत निरमा के बयान	प्रदर्श डी-1
2.	चार्जशीट की प्रति	प्रदर्श डी-2
3.	चोट प्रतिवेदन हजारी की प्रति	प्रदर्श डी-3

04– अभियुक्त के बयान मुल्जिम अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लिए गये। अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर किया तथा झूठा फंसाये जाने का कथन किया एवं साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना जाहिर किया ।

05– बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य बिन्दु यह है कि:–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.09.2017 को दिन में करीब 12 बजे परिवादी के साथ स्वेच्छया कुंद हथियारों से मारपीट कर साधारण प्रकृति की चोटें कारित की तथा उनको इच्छित स्थान पर जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित कर तथा उसके घरवालों के साथ गाली–गलौच कर भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 504 के तहत अपराध कारित किया? ''

2. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ?

06– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना कथित कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित करने का निवेदन किया।

07– दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हैं। उपर्युक्त कथन करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

08– उभयपक्ष की बहस सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने तथा संबंधित विधि का अवलोकन करने के पश्चात न्यायालय का विनम्र मत है कि यह प्रकरण तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के आधार पर संस्थित हुआ है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य का अवलोकन करे तो परिवादी जगदीश बतौर गवाह पीडब्ल्यू–5 न्यायालय साक्ष्य में परीक्षित हुआ है जिसने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 16.09.2017 को दिन में बारह बजे की बात है। वह घर पर था। तभी हजारी उदय शंकर व नेहनी एक साथ होकर हाथों में लाठी डण्डे लेकर आए तथा उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके सिर में उदय सिंह ने डण्डे की मारी थी। हाथों में भी एवं पैरों में एवं पूरे

शरीर में अन्य लोगो ने मारी थी। उसकी घरवाली निरमा देवी बीच बचाव करने आयी थी और कोई बीच बचाव करने नहीं आया था उक्त घटना की रिपोर्ट उसने थाना बांदीकुई में दी थी जो प्रदर्श पी–2 है जिस पर ई से एफ उसके साइन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 पर सी से डी उसके साइन है। पुलिस ने नक्शा मौका उसकी निशानदेही से बनाया था नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 है जिस पर ई से एफ उसके साइन है। उसके शरीर पर आयी चोटों का मेडिकल करवाया था जो प्रदर्श पी–4 है जिस पर ए से बी उसके साइन है। गवाह ने अपनी जिरह में रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 स्वयं द्वारा लिखना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 के ए से बी भाग में उदय सिंह द्वारा कुल्हाडी की चोट मारने वाली बात गलत है । इसके आगे गवाह ने अपने साथ हजारी, उदय व शंकर के द्वारा मारपीट करना ज़ाहिर करते हुए उसके साथ डंडे व कुल्हाड़ी से मारपीट करना स्पष्ट किया तथा कुल्हाड़ी की उसके सिर में चोट आना स्वीकार किया। गवाह ने आगे अपनी जिरह में कथन किया कि कुल्हाड़ी की चोट शंकर ने मारी थी और इसके आगे कथन किया कि उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं कि कुल्हाड़ी उसके कितने अंदर घुसी थी। गवाह ने मौके पर स्वयं को बेहोश होना स्वीकार किया। गवाह ने पुलिस द्वारा बयान किस तारीख़ को लिए गए थे इस बात की जानकारी होने से इनकार किया तथा इसके आगे कथन किया कि हजारी के साथ मारपीट का केस न्यायालय में चल रहा हो तो उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके खिलाफ भी हजारी से मारपीट का इसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। गवाह ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि हजारी के साथ की गई मारपीट में आई चोटों की एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श डी–3 है। इसके आगे गवाह ने कथन किया कि उसकी मुख्य परीक्षा में उसके सिर में उदय सिंह ने डंडे की चोट मारने वाली बात गलत है, जबकि शंकर के द्वारा उसके सिर में मारी थी, जो सही है। इसके आगे गवाह ने स्वयं के सिर में कुल्हाड़ी की चोट मारना स्वीकार किया तथा डंडे से चोट नहीं मारने का कथन किया।

09– गवाह पीडब्ल्यू–2 अमर सिंह नक्शा मौका का गवाह है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 पर ए से बी उसके साइन है । गवाह ने अपनी जिरह में उसके खाली कागज पर साइन करवाया जाना जाहिर करते हुए नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाये जाने का कथन किया ।

10– गवाह पीडब्ल्यू–6 निरमा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब सात आठ साल पहले की बात है। सुबह की बात है। वह मेरे घर पर रोटी बना रही थी। बाहर लडाई झगडे की आवाज आयी थी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके पति जगदीश को हजारी, शंकर, उदय, नेहनी देवी लाठी डण्डो से मारपीट कर रहे थे। गवाह ने अपनी जिरह में

स्वयं से पूछताछ किए जाने बाबत कथनों को अस्वीकार किया तथा इसके आगे यह स्पष्ट किया कि पुलिस ने उसके बयान 24–09–2017 को लिए थे, यह बात गलत है। गवाह ने स्वयं को विकलांग होना बताते हुए उसके द्वारा कोई बीच बचाव नहीं करवाया जाना स्पष्ट किया। इसके आगे गवाह ने स्पष्ट किया कि प्रदर्श डी–1 का ए से भी भाग उसने नहीं लिखवाया यह बात पुलिस ने कैसे लिखी, उसे इस बात की जानकारी नहीं है। इसी के अग्रसरण में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्श डी–1 में कुल्हाड़ी से चोट मारने वाली बात क्यों नहीं लिखी, यह वह नहीं बता सकती। गवाह ने अपने पति के कुल्हड़ी से चोट सिर में आने वाली बात को स्वीकार किया तथा चोट हजारी के द्वारा मारना बताया। इसके आगे गवाह ने कथन किया कि उसका पति चोट लगते ही ज़मीन पर गिर गया था और बेहोश हो गया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि इसी न्यायालय में उसके पति के द्वारा हजारी के साथ मारपीट का मुकदमा चल रहा है।

11– गवाह पीडब्ल्यू–1 शिवलहरी को अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में घटना की तारीख ध्यान न होना तथा घटना के वक्त क्या हुआ इसकी जानकारी ना होने का कथन किया है तथा कोई झगडा नहीं देखे जाने का भी कथन अपनी मुख्य परीक्षा में किया है । इसके आगे गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि वह रोज ही हजारीलाल के घर के आगे से जाता है । उस दिन भी वह गया था लेकिन उसने कोई झगडा नहीं देखा और उसके जाने से पूर्व ही झगडा समाप्त हो गया था । गवाह ने बीच–बचाव कराये जाने के कथन से इन्कार किया । गवाह ने हजारी द्वारा जगदीश के साथ मारपीट किए जाने के तथ्य को अस्वीकार किया । उसके पुलिस में बयान नहीं हुए तथा पुलिस बयान प्रदर्श पी–1 का ए से बी भाग उसने पुलिस को नहीं दिया । गवाह ने अपनी जिरह जरिए अधिवक्ता अभियुक्त में उसके घर के दो रास्ते होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि एक तो हजारीलाल के घर के आगे से व एक अन्य रास्ता और है ।

12– गवाह पीडब्ल्यू–3 निरंजनपाल चार्जशीट का गवाह है जिसने साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.09.2017 को वह थानाधिकारी बांदीकुई के पद पर तैनात था । उस दिन मुकदमा नंबर 474/17 का अनुसंधानकर्ता सुरजन सिंह ने पूर्ण अनुसंधान कर उसे सौंपी । बाद अनुसंधान मुलजिम हजारीलाल के विरुद्ध धारा 323, 341, 504 भादंसं में अपराध प्रमाणित मानकर चालान न्यायालय में पेश किया । गवाह ने अपनी जिरह में स्वयं के द्वारा केवल चार्जशीट पेश किया जाना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि तहरीरी रिपोर्ट उसके सामने पेश नहीं की थी ।

13– गवाह पीडब्ल्यू–4 सुरजन सिंह प्रकरण का अनुसंधान अधिकारी है जिसने साक्ष्य दी है कि दिनांक 23.09.2017 को वह पुलिस थाना बांदीकुई में एएसआई के पद पर

पदस्थापित था उस दिन थाना प्रभारी एसआई के समक्ष प्रार्थी जगदीश के द्वारा एक लिखित रिपोर्ट पेश की थी जिसके अवलोकन से धारा 341, 323, 504 आईपीसी में दर्ज कर प्रकरण संख्या 474/17 का अनुसंधान उसके जिम्मे किया गया। लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी2 है जिस पर ए से बी पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन है सी से डी थाना प्रभारी के साइन है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–3 है जिस पर ए से बी थाना प्रभारी के साइन है। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर पहुंचे घटनास्थल का नक्शा मौका गवाह अमरसिंह एवं कानजी के समक्ष बनाया जो प्रदर्श पी पी–1 है जिस पर सी से डी उसके साइन है। गवाह जगदीश प्रसाद, कानजी, रेणु श्रीमती निरमा, शिवलहरी के कथनानुसार बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किए गए। मजरूब जगदीश का चोट प्रतिवेदन शामिल पत्रावली किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम हजारीलाल पुत्र मूलचन्द मीणा निवासी जस्सापाडा आभानेरी का कार्य धारा 323, 341, 504 आईपीसी के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया जिस पर पत्रावली थानाधिकारी निरंजनपाल सिंह के समक्ष पेश की जिन्होनें न्यायालय में चालान पेश किया गया। गवाह ने अपनी जिरह में तफ्तीश मिलने के दूसरे दिन मौके पर जाना ज़ाहिर करते हुए दो व्यक्ति व परिवादी की उपस्थिति में नक्शा मौका बनाया जाना बताया तथा उसके अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं होना बताया। इसके आगे गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि नक्शा मौका का गवाह कानजी मुस्तगीस का पिता है तथा इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि उसने किसी स्वतंत्र गवाह के बयान नहीं लिए जिनके बयान लिए वो मुस्तगीस के परिवार के ही थे। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि घटनास्थल पर वह दूसरे दिन गया था और उसी दिन नक्शा मौका बनाया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि उक्त प्रकरण में मुकदमा घटना के आठ दिन बाद दर्ज करवाया था ।

14– अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि परिवादी जगदीश द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 थाना बांदीकुई में दिनांक 16.09.2017 को इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.09.2017 को दिन में 12 बजे के लगभग वह अपने घर पर मौजूद था तभी हजारी, उदय सिंह, शंकर व नहनी एकराय होकर हाथों में लाठी–डंडे व कुल्हाडी लेकर आये और प्रार्थी के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया । इसी के अग्रसरण में अपनी तहरीरी रिपोर्ट में परिवादी द्वारा उसके सिर में उदयसिंह द्वारा कुल्हाडी की चोट मारना स्पष्ट करते हुए अन्य अभियुक्तगण द्वारा जगह–जगह शरीर पर चोटें मारना जाहिर किया है । यह स्पष्ट है कि उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 474/17 अंतर्गत धारा 323, 341, 504 भांदंस दर्ज की गई तथा सम्पूर्ण अनुसंधान के पश्चात मुलजिम हजारी के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । न्यायालय को अब यह विचार करना है कि क्या हजारी द्वारा दिनांक 16.09.2017 को जगदीश

के साथ सदोष अवरोध कर मारपीट कर साधारण उपहति कारित की गई और गाली–गलौच की गई ।

15– उक्त संदर्भ में यदि हम प्रकरण के परिवादी जगदीश के सम्पूर्ण बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करे तो गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिनांक 16.09.2017 को दिन में 12 बजे उसके घर पर होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि तभी हजारी, उदय सिंह, शंकर और नहनी एकराय होकर हाथों में लाठी–डंडे लेकर आये और उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया । इसी के अग्रसरण में गवाह द्वारा उसके सिर में उदय सिंह ने डंडे से मारना जाहिर करते हुए हाथ–पैरों और पूरे शरीर में अन्य लोगों द्वारा मारना जाहिर करते हुए उसकी घर वाली निरमा देवी द्वारा बीच–बचाव कराने आना स्पष्ट कर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, चाक एफ आई आर प्रदर्श पी–3, नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 तथा चोटों का मेडिकल मुआयना प्रदर्श पी–4 पर उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है । इसी परिप्रेक्ष्य में अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा प्रदर्श पी–2 में ए से बी भाग में उदय सिंह द्वारा कुल्हाडी की चोट मारने वाली बात गलत लिखा होना जाहिर करते हुए उसके साथ हजारी, उदय सिंह और शंकर द्वारा मारपीट किया जाना स्पष्ट किया है । इसी के अग्रसरण में गवाह द्वारा कुल्हाडी की चोट शंकर द्वारा मारना स्पष्ट कर जाहिर किया कि उसे इस बात की जानकारी नहीं कि कुल्हाडी उसके कितनी अंदर घुसी थी । इसके अतिरिक्त गवाह ने यह भी जाहिर किया कि हजारी के साथ मारपीट का केस न्यायालय में चल रहा हो तो उसे ध्यान नहीं है । जिसके पश्चात इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके खिलाफ भी मुलजिम हजारी से मारपीट का इसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है जिसमें उसके खिलाफ प्रदर्श डी–2 चार्जशीट पेश की है तथा जिसमें एम सी एल रिपोर्ट प्रदर्श डी–3 है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह आगे यह स्पष्ट करता है कि मुख्य परीक्षा में उसके सिर में उदय सिंह द्वारा डंडे की चोट मारने वाली बात गलत है जबकि शंकर द्वारा उसके सिर में मारी थी जो सही है । अतः यह स्पष्ट है कि जहां हस्तगत प्रकरण के परिवादी द्वारा अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 में उदयसिंह द्वारा कुल्हाडी से उसके सिर में मारना स्पष्ट किया है, वहीं अपने मुख्य परीक्षण में उदयसिंह द्वारा उसके सिर में डंडे से मारना जाहिर किया है । इसी परिप्रेक्ष्य में अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 और मुख्य परीक्षण के विपरीत जाकर सिर में उदय सिंह द्वारा कुल्हाडी की चोट मारने के तथ्यों को नकारते हुए शंकर द्वारा सिर में मारने बाबत तथ्यों को स्वीकार किया है ।

16– इसी संदर्भ में यदि प्रकरण की अन्य गवाह पीडब्ल्यू–6 निरमा देवी के बयानों का अवलोकन किया जाए तो गवाह द्वारा आज से करीब 7–8 साल पहले सुबह की बात बताते हुए

स्पष्ट किया कि वह अपने घर पर रोटी बना रही थी तो बाहर लडाई झगडे की आवाज आई थी और उसने बाहर जाकर देखा तो उसके पति जगदीश को हजारी, शंकर, उदयसिंह व नहनी द्वारा लाठी–डंडों से मारपीट करना स्पष्ट किया है । अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह द्वारा यह जाहिर किया कि वह विकलांग है इसलिए उसने कोई बीच–बचाव नहीं कराया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह द्वारा उसके पति के कुल्हाडी की चोट हजारी द्वारा मारना स्पष्ट किया है । अतः यह स्पष्ट है कि जहां हस्तगत प्रकरण का परिवादी व मजरूब जगदीश अपने बयानों में दिनांक 16.09.2017 को हजारी व अन्य द्वारा उसके घर पर उसके साथ मारपीट किए जाने का कथन किया है, वहीं निरमा द्वारा अपने बयानों में घर पर रोटी बनाना स्पष्ट कर बाहर लडाई झगडे की आवाज आना जाहिर किया है । यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि जगदीश द्वारा उसके सिर पर किसके द्वारा चोट कारित की गई थी इस संदर्भ में अपनी तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–2, अपने मुख्य परीक्षण तथा अपने प्रतिपरीक्षण में विरोधाभासी कथन किए हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जहां जगदीश द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में उसके सिर पर उदय सिंह द्वारा ना मारकर शंकर द्वारा मारना स्पष्ट किया है, वहीं जगदीश की पत्नी निरमा द्वारा उसके पति जगदीश के सिर पर कुल्हाडी से हजारी द्वारा मारने के विरोधाभासी कथन अपने बयानों में किए हैं । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि जहां जगदीश द्वारा अपने बयानों में उसकी घरवाली निरमा देवी द्वारा बीच बचाव करने आना स्पष्ट किया है, वहीं निरमा देवी द्वारा स्वयं का विकलांग होने के कारण कोई बीच–बचाव नहीं कराया जाना जाहिर किया है । इसी संदर्भ में यदि प्रकरण के अन्य गवाहों के बयानों का अवलोकन किया जाए तो जहां पीडब्ल्यू–1 शिवलहरी द्वारा क्या हुआ इसकी कोई जानकारी ना होना जाहिर करते हुए कोई झगडा उसके द्वारा नहीं देखा जाना स्पष्ट किया है, वहीं गवाह पीडब्ल्यू–2 अमर सिंह जो नक्शा मौका का गवाह है जिसने उसके हस्ताक्षर खाली कागजों पर कराया जाना जाहिर कर नक्शा मौका उसके सामने नहीं बनाया जाना स्पष्ट किया है। इसके अतिरिक्त गवाह पीडब्ल्यू–3 निरंजनलाल चार्जशीट का गवाह होकर औपचारिक गवाह है । इसी परिप्रेक्ष्य में यदि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पीडब्ल्यू–4 सुरजन सिंह के बयानों का अवलोकन किया जाए तो अपने सम्पूर्ण बयानों में गवाह ने जहां अपने अनुसंधान के पश्चात मुलजिम हजारी के विरूद्ध धारा 323, 341, 504 भादंसं का आरोप प्रमाणित पाये जाने के कथन किए हैं, वहीं इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण में घटना के 8 दिन बाद मुकदमा दर्ज कराया था तथा देरी का कोई कारण नहीं बताया । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा चोट प्रतिवेदन तैयार किए जाने वाले डॉक्टर को बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं कराया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण के परिवादी द्वारा ना सिर्फ तहरीरी रिपोर्ट और मुख्य परीक्षण तथा जिरह में तथाकथित मारपीट के महत्वपूर्ण तथ्यों के

संदर्भ में विरोधाभासी कथन किए हैं, बल्कि परिवादी की पत्नी निरमा के बयानों के भी विपरीत जाकर कथन किए हैं । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत यह तथ्य भी उभकर आया है कि किसी भी गवाह ने अभियुक्त द्वारा परिवादी पक्ष के साथ गाली–गलौच किए जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया है ।

17– इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 16.03.2017 को अभियुक्त हजारी द्वारा परिवादी जगदीश के साथ गाली–गलौच कर लाठी–डंडों व कुल्हाडी से मारपीट की थी ।

18– इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त हजारीलाल को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 504 भारतीय दंड संहिता में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

//आदेश//

19– अतः अभियुक्त हजारीलाल पुत्र मूलचंद निवासी जस्सापाडा आभानेरी, थाना बांदीकुई, जिला दौसा, को धारा 323, 341, 504 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

20– अभियुक्त धारा 437(ए) दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालनार्थ दस हजार रूपये की जमानत व इसी कदर की राशि का स्वयं का मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करावे। अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत व मुचलके नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

(रोमा भाटिया)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा
(अतिरिक्त कार्यभार)

21– निर्णय व आदेश आज दिनांक 06/06/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(रोमा भाटिया)
अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा
(अतिरिक्त कार्यभार)